रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232093 CG-DL-E-23122021-232093

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4979] No. 4979] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 2, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 2, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5370(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टॉक नियंत्रण आदेश, 2021 बनाती है, अर्थात्-:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -
 - (1) यह आदेश सोया मील स्टॉक नियंत्रण आदेश, 2021 के नाम से जाना जाएगा।
 - (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 2. सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए सोया मील हेतु निम्नलिखित स्टॉक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं;
 - (i) संयंत्र/मिलर/प्रोसेसर: संयंत्र/मिलर/प्रोसेसर की अपने औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) में परिभाषित उत्पादन क्षमता के दैनिक इनपुट के अनुसार सोया मील के उत्पादन के 90 दिन का अधिकतम स्टॉक। भंडारण स्थान की घोषणा की जानी जाना है।
 - (ii) ट्रेडिंग कंपनी/व्यापारी/निजी चौपाल: केवल सरकारी पंजीकृत उद्यम, परिभाषित और घोषित भंडारण स्थान के साथ अधिकतम 160 टन स्टॉक।

7504 GI/2021 (1)

- 3. यदि संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल http://evegoils.nic.in/soya_meal_Stock/login पर की जाए और ऐसी अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, जहां वह अपना कारोबार संचालित कर रहा है, के निर्णयानुसार निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाई जाए।
- 4. सोया मील स्टॉक की नियमित रूप से घोषणा और उपर्युक्त पोर्टल पर इसका अद्यतन सुनिश्चित किया जाएगा। पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों की निगरानी पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नियमित रूप से की जाएगी और अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो, तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की जाएगी।

फा. सं. 06/02/2017-Oill

पार्थ एस. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद संख्या का.आ. 3341(अ), दिनांक 27 अक्तूबर, 2016, का.आ. 1288(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2017, का.आ. 1600(अ) दिनांक 17 मई, 2017, का.आ. 2785(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2017, का.आ. 3136(अ) दिनांक 27 सितंबर, 2017, का.आ. 3397(अ) दिनांक 23 अक्तूबर, 2017, का.आ. 3422(अ) दिनांक 25 अक्तूबर, 2017, का.आ. 4079(अ) दिनांक 27 दिसंबर, 2017, का.आ. 2414(अ) दिनांक 13 जून, 2018, का.आ. 2826(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2019, का.आ. 3540(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2019, का.आ. 4298(अ) दिनांक 28 नवंबर, 2019, का.आ. 4341(अ), दिनांक 3 दिसंबर, 2019, का.आ. 4417(अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2019, का.आ. 4471(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 2019, का.आ. 901(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2020, का.आ. 3776(अ), दिनांक 23 अक्तूबर, 2020, का.आ. 2674(अ) दिनांक 2 जुलाई, 2021 और का.आ. 2871(अ) दिनांक 19 जुलाई 2021 और का.आ. 4146(अ) दिनांक 8 अक्तूबर, 2021 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O. 5370(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Stock Control Order, 2021 namely:-

1. Short Title and Commencement-

- (1) This Order may be called the Soya Meal Stock Control Order, 2021.
- (2) It shall come into force with immediate effect.
- 2. Following stock limits is prescribed for Soya Meal for a period upto 30th June, 2022 for all States and Union Territories;
 - (i) Plant/Miller/Processor: Maximum stock of 90 days production of Soya Meal, as per daily input production capacity of Plant/Miller/Processor, defined in its IEM. The storage location should be declared.
 - (ii) Trading company/Trader/Private Chaupals: Only Government registered enterprise, maximum stock of 160 MT with a defined and declared storage location.
- 3. In case of stocks held by respective legal entities are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal http://evegoils.nic.in/soya_meal_Stock/login of Department of Food & Public Distribution and bring it to the prescribed stock limits within 30 days of the issue of this notification.

4. It shall be ensured that Soya Meal stock is regularly declared and updated on the above portal. The data on the portal will be regularly monitored by Department of Animal Husbandry & Dairying and any follow-up action will be taken by Department of Animal Husbandry & Dairying.

[F. No. 06/02/2017-Oil]

PARTHA S. DAS, Jt. Secy.

Note The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended vide numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785(E) dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December, 2017 and S.O. 2414(E) dated the 13th June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3rd December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019, S.O. 4471(E), dated the 16th December, 2019, S.O. 901(E), dated the 27th February, 2020 and S.O. 3776(E), dated the 23rd October, 2020, S.O. 2674(E) dated 2nd July 2021, S.O. 2871(E) dated 19th July 2021 & S.O. 4146(E) dated 8th October, 2021.